न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 126 / 2018	2018 / 00496	18.07.2018	12.08.2024

1.रामधन पुत्र लोहडिया, जाति गुर्जर,
2.कैलाश पुत्र रामधन, जाति गुर्जर,
3.अर्जुन पुत्र रामधन, जाति गुर्जर,
4.लल्लूराम पुत्र रामधन, जाति गुर्जर,
5.हनुमान सहाय पुत्र रामधन, जाति गुर्जर,
6.सुभाष पुत्र कैलाश, जाति गुर्जर, निवासीयान कालवाड, सक्काला तहसील राजगढ, जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1.प्रेमचन्द पुत्र लक्ष्मन प्रसाद, जाति रैगर, निवासी ग्राम कालवाड, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर) दिनांक 03–01–2018 जिसके द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्ध व मौके व कब्जे के खिलाफ रैस्पाडेण्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विवादित आराजी की बाबत स्वीकार करके अपीलाण्ट अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने एवं रैस्पाडेण्ट प्रार्थी को कब्जा दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए गए बमुराद मंसूखी उपरोक्त निर्णय तहत अदालत एवम स्वीकार किए जाने अपील अपीलाण्ट व निरस्त किए जाने प्रार्थना पत्र प्रार्थी रैस्पाडेण्ट।

उपस्थितः–

01.श्री कमल सिंह पोसवाल – वकील अपीलान्ट्स
02.श्री पवन सिंह चौहान – वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर) दिनांक 03–01–2018 जिसके द्वारा बेजा तौर पर विधि विरूद्ध व मौके व कब्जे के खिलाफ रैस्पाडेण्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विवादित आराजी की बाबत स्वीकार करके अपीलाण्ट अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने एवं रैस्पाडेण्ट प्रार्थी को कब्जा दिलाए जाने के आदेश प्रदान किए जाने सें व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 24–06–18 को प्रातः रैस्पाडेण्ट ने गांव में अपीलाण्टान से कहा कि आप जमीन से कब्जा हटा लेवे वर्ना मै

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पुलिस के मारफत कब्जा हटवाउंगा क्योकि मेरे पक्ष में निर्णय हो गया है। जिस पर अपीलाण्ट ने दूसरे दिन दिनांक 25–06–18 को तहसील कार्यालय में बाबू से जानकारी की तो मालूम हुआ कि उक्त प्रकरण में दिनांक 03–01–18 को निर्णय पारित किया गया है। जिसकी नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 25–06–18 को पेश किया जिस पर नकल उसी दिन प्राप्त हुई। जिसे वकील साहब को दिखाया तो उन्होने बताया कि इस निर्णय की अपील अलवर में करनी पड़ेगी जिस पर अलवर आकर अपने वकील साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि अपील करनी पड़ेगी जिस पर खर्च का इंतजाम किया और अपील तैयार करवाकर आज बिना देरी के निर्णय की जानकारी दिनांक 25–06–18 से अपील अंदर अवधि पेश है। दिनांक 03–01–18 से 24–06–18 तक का जो समय व्यतीत हुआ है, वह उक्त प्रकार से अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी न होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जिस हेतू प्रार्थना पत्र दफा 5 म्याद कानून अलग से पेश है।

प्रार्थी रैस्पाडेण्ट ने अपीलाण्ट अप्रार्थीगण के खिलाफ तहत अदालत में धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय लछमन प्रसाद पुत्र श्री मुसीराम जाति रैगर निवासी ग्राम कालवाड खोह दरीबा तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज. को सन 1975 में भू आवंटन सलाहाकार समिति राजगढ के द्वारा आराजी खसरा नंबर 235/6 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 17 रकबा 1.26. हैक्टर वाके ग्राम कालवाड खोह दरीबा तहसील राजगढ जिला अलवर राज. में आवंटन की गई थी। उपरोक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद नहीं है। वो हर प्रकार से पाक साफ है। वक्त आवंटन मिन प्रार्थी का पिता व पिता की मृत्यु के बाद से मिन प्रार्थी व मृतक लछमन के वारिसान काबिज काश्तकार रहा है एवं राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है। दिनांक 28–12–2013 को योजनाबद्ध तरीके से मुलजिमानो ने प्रार्थी की उपरोक्त आराजी पर से बाढ़ झिड हटा कर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर लिया तथा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यो ने विरोध किया तो प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के साथ बेरहमी से मारपीट की और जाति सूचक अपशब्दो ढेड साले नीच जाति के कमीने आदि एवं मां बहिन की फोस गालियां दी गई जिसमें प्रार्थी के शरीर पर भी गंभीर चोट आई तथा गंभीर चोटो के कारण राजकीय चिकित्सालय टहला से जयपुर रैफर कर दिया गया और प्रार्थी का कई महिनो तक इलाज चला व प्रार्थी का मेजर आपरेशन भी किया गया तथा प्रार्थी के परिवार के सदस्यो के साथ भी मारपीट की गई एवं जाति सूचक अपशब्दो से संबंधित किया गया और प्रार्थी के कब्जे काश्त को उजा दिया और लठ के बल पर व जबरन प्रार्थी की आराजी पर कब्जा कर लिया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227/2013 थाना टहला में अपराध धारा 134, 341, 323, 325, 336, 447, 354, 307 आई पी सी व धारा 3 (4) (11) एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और उपरोक्त धाराओ में मुलजिमानो के विरूद्ध मुकदमा न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम) अलवर में बअनुवान सरकार कैलाश विचाराधीन है। मिन प्रार्थी जाति से रैगर है जो कि अनुसूचित जाति में आता है एवं सभी मुलजिमान जाति से गुर्जर है जो कि अन्य पिछडा वर्ग में आते है जिन्होने लठ के बल पर व जबरन प्राथी को अपने कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर दिया और प्राथर्थी को कब्जा काश्त करने नहीं देते है तथा प्रार्थी जब भी अपनी आराजी पर जाता है तो मुलजिमान मारपीट करते है और जान

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

से मारने का प्रयास करते है। उपरोक्त आराजी के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई आराजी नहीं है और उक्त आराजी के अभाव में प्रार्थी के पास आय आमदनी का कोई स्त्रोत नही है तथा परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। अतिकमियो की मारपीट व घातक चोटो से मजदूरी करने लायक नहीं रहा है। प्रार्थी ने उक्त आराजी पर से अतिक्रमियो का अतिक्रमण हटाये जाने का पूर्व में भी सी ओ साहब राजगढ को प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी अपनी उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करना चाहता है आदि तथा प्रार्थना की कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 235/6 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 17 रकबा 1.26 हैक्टर वाके ग्राम कालवाड खोह दरीबा तहसील राजगढ जिला अलवर राज. से अतिकृमियो का अतिक्रमण हटाए जाने की कृपा करे और प्रार्थी को पुलिस इमदाद में आराजी पर काबिज करवाये जाने की कृपा करे। कि जो प्रार्थना पत्र आलोच्य निर्णय दिनांक 30–01–2018 के जर्ये मंजूर किया जाकर बेजा तौर पर विधि विरूद्ध मौके व कब्जे के खिलाफ अपीलाण्ट अप्रार्थीगण को बेदखल किए जाने व प्रार्थी रैस्पाडेण्ट को कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया है कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है, जो कि निम्न आधारो पर स्वीकार होने तथा आलोच्य निर्णय तहत अदालत अपास्त होने व प्रार्थना पत्र प्रार्थी रैस्याडेण्ट खारिज होने योग्य है।

आराजी खसरा नंबर 235/6 रकबा 5 बीघा जिसका हाल खसरा नंबर 17 रकबा 1.26 हेक्टर से बना है, वाके ग्राम कालवाड तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा कदीमी से बुर्जुगो के समय से चला आ रहा है यानि करीब 60–70 सालो से चला आ रहा हजै जिसमें अपीलाण्ट ने एक घर कच्चा बना रखा है जिसमें अपीलाण्ट अपनी फसल की रखवाली हेतू रहता है। एक पक्का कुआं (चाह) बना रखा है जिस पर ईंजन लगा रखा है जिससे विवादित आराजी की सिंचाई करता है। उक्त आराजी के चारो तरफ फसल की जंगली जानवरो से सुरक्षा हेतू कोरा–पारा पत्थरो का डण्डा यानि बाउण्डरी वाल बना रखी है जो करीब 5 फुट उंची बना रखी है और अपीलाण्ट द्वारा लगाए हुए 25–30 पेड बबूल, पीपल आदि के खडे हुये है अपीलाण्ट पशु मवेशी वगैराह बांधता है तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के चारो तरफ बाउण्डरी वाल में तरफ दक्षिण की ओर निवास (गेट) है जिससे आते जाते है। इस समय उक्त आराजी में अपीलाण्ट द्वारा बोई हुई ग्वार व बाजरा की फसल खडी हुई है। उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट स्वयं व उनके बुर्जुगो का कब्जा काश्त होते हुए भी बेजा व विधि विरुद्ध मौके व कब्जे के प्रार्थी रैस्पाडेण्ट के पित्ता स्वर्गीय लक्ष्मण ने दिनांक 17–09–75 को न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ विधि एवंत थ्यो तथा मौके व कब्जे के खिलाफ आवंटन करा ली स्वर्गीय लक्ष्मण आवंटी को उक्त आवंटन के बाद ना तो उक्त आराजी पर दखल दिया गया और नाही विवादित्त आराजी पर स्वर्गीय लक्ष्मण ने कभी काश्त की गई बल्कि उक्त आराजी पर अपीलाण्ट एवं उनके बुजुर्गों का कब्जा काश्त आज से 70–75 साल पूर्व से निरंतर चला आ रहा है और आज भी है जिस पर अपीलाण्ट की बोई हुई फसल ग्वार व बाजरा की खड़ी हुई है जिन तथ्यों के आधार पर विवादित आराजी का रैस्पाडेण्ट प्रार्थी के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण को विधि विरूद्ध एवं मौके व कब्जे के खिलाफ हुए आवंटन आदेश दिनांक 17–09–75 को निरस्त कराने हेतू अपीलाण्ट ने रैस्पाडेण्ट प्रार्थी एवं उनके अन्य भाई एवं उनकी माता के खिलाफ अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अदालत में दिनांक 08–10–14 को पेश किया हुआ है जो अभी विचाराधीन है और जिससे रैस्पाडेण्ट प्रार्थी भी सूचित है और यह प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन है। जिस तथ्यो को छुपाकर प्रार्थी रैस्पाडेण्ट ने तहत अदालत में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो उपरोक्त आधार पर निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जावे। अपीलाण्ट अप्रार्थी को तहत अदालत में उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की किसी तरह से कोई सूचना तामील नहीं भिजवाई और नाही अपीलाण्ट अप्रार्थी को सूचना ही हुई। तहत अदालत में दिनांक 23–11–17 की पेशी को यह आदेशिका है अप्रार्थी की अदम तामील नोटिस प्राप्त हुए है पुनः नोटिस जारी हो । दिनांक 08–12–17 की पेशी लगादी। दिनांक 08–12–17 की पेशी के तामील के नोटिस अपीलाण्ट अप्रार्थी को किसी को भी नहीं दिए। उक्त नोटिसो पर तामील कुनिन्दा ने अपने मनमाने तरीके से प्रार्थी रैस्पाडेण्ट के अनुचित प्रभाव में आकर सभी नोटिसो पर तामील कुनिन्दा से यह लिखवाकर अमुक पक्षकार मिला उसने तामील लेने से इंकार किया । एक प्रति उसके खुले मकान पर चस्पा किया गया, वाद तामील पेश हो। यह तामील सिविल प्रक्रिया के खिलाफ है। के अनुसार यदि कोई पक्षकार तामील लेने से मना करता है तो तामील कुनिन्दा उसके ड खुले मकान पर चस्पा करेगा और उसके बाद अपना शपथ पत्र पेश, अंगूठा करायेगा और उसके बाद अपना शपथ पत्र पेश करेगा जिस पर गौर करने के बाद ही अदालत कोई निर्णय उन पक्षकारों के खिलाफ तामील मानने का या नही मानने का निर्णय यकरने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकरण में उक्त न्यायिक विधिक प्रक्रिया का तामील कुनिन्दा द्वारा कतई पालन नहीं की गई है और नाही तहत अदालत द्वारा इस तथ्य पर विधि अनुसार गौर किया है और तहत अदालत द्वारा उक्त विधिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए अप्रार्थीगण की गलत तरीके से अनुपस्थिति अंकित करते हुए अपीलाण्टान को बिना सुनवाई का अवसर दिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जाये ।

तहत अदालत में अपीलाण्ट अप्रार्थीगण की तामील के लिए दिनांक 08–12–17 नियत थी। दिनांक 08–12–17 को कर्मचारीयो का सामूहिक अवकाश होने व 9 व 10 को राजकीय अवकाश होने पर दिनांक 11–12–17 को पत्रावली पेश हुई। उस दिन यानि दिनांक 11–12–17 की सूचना के लिए तहत अदालत को अप्रार्थीगण अपीलाण्टान को कानूनन पुनः नोटिस जारी करने चाहिए थे जिससे तहत अदालत का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण भी निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे ।

रैस्पाडेण्ट प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य आदि पेश नही की और न ही पटवारी हलका से रिपोर्ट मौक व कब्जे उभयपक्षो की उपस्थिति में देखकर ही मंगवाई जिससे भी तहत अदालत का निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। रैस्पाडेण्ट प्रार्थी रिकार्ड में गैरखातेदार अंकित है, खातेदार नहीं है इसका स्पष्ट अर्थ है कि रैस्पाडेण्ट प्रार्थी का कब्जा नही है क्योकि कब्जा होने पर ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। चूंकि प्रार्थी रैस्पाडेण्ट का कब्जा नहीं है, इसलिए उसके हक में खातेदारी नही हुई। ऐसी स्थिति में कानूनन गैरखातेदार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का चलने योग्य नहीं था जिस पर भी तहत अदालत ने गौर नहीं किया। जो अब काबिल गौर श्रीमान् है और तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अदालत द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे। विवादित आराजी खसरा नंबर 17 रकबा 1.26 हैक्टर का जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में मातादीन, मनोहर, घनश्याम, प्रेमचन्द, सीयाराम, यादराम पि० लक्ष्मण एवं रामा देवी बेवा लक्ष्मण समभाग जाति रैगर सा० देह खातेदार दर्ज है जैसा कि तहत अदालत ने निर्णय में विवेचन किया है इस तरह विवादित आराजी के 7 व्यक्ति रिकार्ड में गैरखातेदार अंकित है जिनमें से केवल एक व्यक्ति प्रेमचन्द पुत्र लक्ष्मण ने ही प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका केवल 1/7 ही हिस्सा रिकार्ड से बनता है। लेकिन तहत अदालत में रैस्पाडेण्ट प्रार्थी प्रेमचन्द ने ही विवादित आराजी के समस्त रकबा 1.26 हैक्टर की बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कानूनन चलने योग्य नहीं था। रिकार्ड में अंकित नाम वाले व्यक्तियो को प्रार्थी की जैल में या तरतीबी अप्रार्थी की जैल में पक्षकार नही बनाया था। ऐसी स्थिति में भी तहत अदालत ने विवादित आराजी के समस्त रकबे 1.26 हैक्टर की बाबत बेदखली का आदेश अपीलाण्ट अप्रार्थी के खिलाफ दिया है, जो स्पष्टतया विधिक प्रक्रिया के खिलाफ किया गया है। इसलिए भी तहत अदालत का आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे ।

विवादित आराजी पर अपीलाण्ट अप्रार्थी का कब्जा देरीना यानि 70–75 सालो से निरंतर चला आने के कारण प्रार्थी रैस्पाडेण्ट का प्रार्थना पत्र म्याद के बिन्दू पर ही खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है, निरस्त फरमाया जावे। अन्य उजात वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जायेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 03–01–2018 न्यायालय तहसीलदार राजगढ (अलवर) अपास्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी रैस्पाडेण्ट का प्रार्थना पत्र संख्या 01/2017 अंतर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रिकॉर्ड के अनुसार भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है। न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित निर्णय नियमों के क्रम में विधिवत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर